



Uttarakhand Electricity Regulatory Commission

'Vidyut Niyamak Bhawan', Near ISBT, PO- Majra, Dehradun-248171

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

PUBLIC NOTICE

Public Hearing in the matter of UJVN Ltd.'s Petition seeking review of the Tariff Order issued by the Commission on 21.03.2018 on "True Up of FY 2016-17, Annual Performance Review for FY 2017-18 and Annual Fixed Charges for FY 2018-19 for UJVN Ltd."

UJVN Ltd. has filed a Review Petition before Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC or Commission) for review of the Commission's Tariff Order dated 21.03.2018 on "True Up of FY 2016-17, Annual Performance Review for FY 2017-18 and Annual Fixed Charges for FY 2018-19. UJVN Ltd. in its Review Petition has raised issues related to (1) Additional Capitalization for 9 old LHP's (2) Operation & Maintenance for 9 old LHP's (3) A&G Expenses & (4) R&M expenses. Responses/suggestions, on the aforesaid Review Petition were sought by the Commission from the Stakeholders and the last date for the submission of comments was 18.06.2018.

The Petition is available at the website of the Commission (www.uerc.gov.in) and at the Petitioner's website (www.uttarakhandjalvidyut.com).

Before taking final decision in the matter, the Commission has decided to hold a public hearing on 24.07.2018 at 11.00 AM in the Commission's office on the above mentioned address. Any person, who wishes to put his views on the subject before the Commission, is invited to appear before the Commission and make submission in the above public hearing.



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून
फोन-0135-2641115 फैक्स-2641314, Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

यूजेवीएन लि0 की वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वास्तविक व्यय के टू-अप, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विद्युत दरों के निर्धारण हेतु दायर याचिका पर आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश दिनांक 21.03.2018 के विरुद्ध यूजेवीएन लि0 द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत पुनर्विचार याचिका पर जन-सुनवाई।

यूजेवीएन लि0 द्वारा, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उविनिआ या आयोग) के समक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वास्तविक व्यय के टू-अप, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विद्युत दरों के निर्धारण हेतु दायर याचिका पर आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश दिनांक 21.03.2018 के विरुद्ध आयोग के समक्ष पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की गयी है। यूजेवीएन लि0 द्वारा उक्त पुनर्विचार याचिका में (1) पुराने 09 वृहद विद्युत परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण (2) पुराने 09 विद्युत परियोजनाओं हेतु परिचालन तथा रखरखाव (O&M) व्ययों (3) प्रशासनिक एवं सामान्य (A&G) व्ययों और (4) मरम्मत एवं रखरखाव (R&M) व्ययों के निर्धारण से सम्बन्धित बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है। उपरोक्त पुनर्विचार याचिका पर आयोग द्वारा स्टेकहोल्डर्स से सुझाव/मत दिनांक 18.06.2018 तक आमंत्रित किये गये थे।

उक्त पुनर्विचार याचिका, आयोग की वेबसाइट www.uerc.gov.in पर एवं याचिकाकर्ता की वेबसाइट www.uttarakhandjalvidyut.com पर उपलब्ध है।

इस सम्बन्ध में, अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व, मा0 आयोग द्वारा आयोग कार्यालय के उपरोक्त पते पर दिनांक 24.07.2018 को प्रातः 11.00 बजे एक जन-सुनवाई आयोजित की गई है। इस सम्बन्ध में, यदि कोई भी व्यक्ति अपने मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो वे उक्त निर्धारित जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।